न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 117/2025 बउनवानी विष्णु सोमानी बनाम अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री सीताराम सोमानी निवासी कलेक्ट्रेट परिसर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/268

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
10.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 8.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *" न्यूमार्डन पब्लिक स्कूल इंगलिस स्कूल पटेल नगर की कक्षा 4 की पाठय पुस्तको की कीमत 4200/—रू को लेकर आर.टी.ई. के तहत अध्ययन कर रहे छात्रो की पाठय पुस्तको सहित कुल 6 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना। "* अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः एफ.13(02)(98)/सूकाअ/2025/1062 दिनांक 8.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना का संबंध जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सवाईमाधोपुर से होने के कारण अपीलान्ट को आवेदन पत्र तत्समय ही जरिये पत्रांक समा/एफ.13(2)(98)/सूकाअ/2025/840 दिनांक 17.7.2025 से जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जाकर अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 841—42 दिनांक 17.7.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका था कि आपका आवेदन अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा चुका है । अतः उक्त सूचना के लिए भविष्य मे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सवाईमाधोपुर से सम्पर्क करे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 8.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) सवाईमाधोपुर से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित कर अपीलान्ट को तत्समय ही वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। चूंकि जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) सवाईमाधोपुर के विरूद्व प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्व सक्षम आथर्टी के समक्ष यह अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। अतः अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Karta Ram Date: 2025.10.21 15:35:31 IST Reason: SelfAttested (कर्ता राम) जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner